

# कार्यालय - प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (कक्ष-वन भू-अभिलेख)

ब्लॉक ए, वन भवन, तुलसी नगर मध्यप्रदेश, भोपाल  
Tel. (office) 0755-2524146, E-mail: apccflr@mp.gov.in

क्रमांक/वन भू-अभि./ वनग्राम/ 1010-1

भोपाल दिनांक 06 /08/2026

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
2. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
3. समस्त क्षेत्र संचालक (राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य)

विषय:- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR)।

संदर्भ :-

1. भारत सरकार जनजातीय कार्य विभाग एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक/4-4/2020-FP (E-139662) दिनांक 27.07.2026.
2. संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 एवं मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993.

-0-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य विभाग के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से सामुदायिक वन संसाधनों के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3(1)(झ) एवं धारा-5 के प्रावधानों के तहत सामुदायिक वन संसाधनों की संरक्षा, संरक्षण एवं सतत उपयोग में केवल उन समुदायों को मान्यता देता है, जिनके द्वारा परम्परागत रूप से सामुदायिक वन संसाधनों को सतत उपयोग हेतु सुरक्षा एवं संरक्षण किया है एवं इन्हीं समुदायों को सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार दिये जाने का प्रावधान है।

वनो के संरक्षण के संबंध में भारतीय संविधान में निम्नानुसार प्रावधान हैं :-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A (Article 48A) में शासन का दायित्व है :- राज्य को पर्यावरण के संरक्षण, सुधार और वन्यजीवों की सुरक्षा करनी है। यह राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A (g) में नागरिकों का दायित्व है :- "भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।"

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-1(2) के प्रावधान संरक्षित/आरक्षित वनभूमियों पर लागू नहीं होते हैं। अतः ग्राम पंचायत का क्षेत्र अधिकार अधिसूचित वनक्षेत्रों पर प्रभावशील नहीं होगा तथा ऐसे ग्राम जिनके बीचों-बीच वनक्षेत्र है, उनमें सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार (CFRR) दिये जा सकते हैं।

समुदायों द्वारा वन संवर्धन एवं संरक्षण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर भारतीय संविधान तथा अधिनियमों के माध्यम से पंचायतों को वन संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जो निम्नलिखित हैं :-

### पंचायत राज अधिनियम, 1993

- भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में सभी स्तरों पर पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची का समावेश किया गया है, जिसमें वर्णित कार्य अब पंचायतों के माध्यम से निष्पादित होंगे।
- उपरोक्त संविधान के संशोधन के संबंध में मध्यप्रदेश में "मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993" पारित किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की गई।
- इस अधिनियम की धारा-53(1) के अनुसार "राज्य सरकार इस अधिनियम में अन्तरविष्ट किसी बात के होते हुए भी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए (जिसके अन्तर्गत वे विषय भी आते हैं, जो अनुसूची 4 में सूचीबद्ध हैं) योजना की तैयारी व उसका क्रियान्वयन सौंप सकेगी"
- अनुसूची 4 के अनुक्रमांक-6 में समाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी, अनुक्रमांक-7 में लघु वनोपज एवं अनुक्रमांक-12 में ईंधन, चारा एवं अनुक्रमांक-15 में अपाराम्पारिक उर्जा स्रोत अधिसूचित हैं। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-3/66/94/10-2 दिनांक 19.08.1994 द्वारा पंचायतों को शासकीय वनक्षेत्रों के बाहर निम्न अधिकारों का प्रत्योजन किया गया है :-
  1. **ग्राम पंचायत :-** जलाऊ लकड़ी के लिये वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास, कृषि वानिकी को प्रोत्साहन, सड़क के किनारे और सार्वजनिक भूमियों पर वृक्षारोपण और उनका रख-रखाव, वानिकी के लिए रोपणियों की स्थापना, रख-रखाव एवं पौधे वितरण, शासन द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय अनुसार विभिन्न जातियों हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करना, वन महोत्सव, वीडि पत्ते संग्रहण क्षेत्र का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, ग्राम की चरनोई भूमि का प्रबंधन।
  2. **जनपद पंचायत :-** जनपद पंचायत के नियंत्रण वाली भूमियों पर सड़कों के किनारे वृक्षारोपण और उनका रख-रखाव, जलाऊ लकड़ी के लिये वृक्षारोपण और चारागाह विकास, कृषि वानिकी को प्रोत्साहन, वानिकी के लिये रोपणियों की स्थापना, रख-रखाव, एवं पौधे वितरण, वन महोत्सव, वीडि पत्ते संग्रहण क्षेत्र में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। पशुओं पर अत्याचार रोक-थाम कानून-1980 का प्रबंधन, जनपद स्तरीय वन स्थाई समिति द्वारा उक्त कार्यों का मूल्यांकन एवं मार्ग-दर्शन दिया जाता है।
  3. **जिला पंचायत :-** एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्य-क्रम, सामाजिक वानिकी, जलाऊ लकड़ी के लिये वानिकी एवं चारागाह विकास को प्रोत्साहन, लघु वनोपज का विकास, सार्वजनिक भूमियों पर वानिकी और प्रबंधन जल/मृदा संरक्षण योजना, वानिकी कार्य के प्रति स्पर्धा के लिये पुरस्कार, निस्तार वनों का निर्माण, वन महोत्सव सामाजिक वानिकी से संबंधित योजना तैयारी एवं क्रियान्वयन। जिला वन स्तरीय वन स्थाई समिति द्वारा उक्त कार्यों का मूल्यांकन एवं मार्ग-दर्शन दिया जाता है। योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों की आवश्यक निधियाँ और अन्य सहायता की व्यवस्था यथा स्थिति राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा की जावेगी। अतएव अब ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकता अनुसार योजना स्वयं बनाकर क्रियान्वित करेगी, जिससे योजना का औचित्य एवं सफलता संदिग्ध नहीं होगी।

### पेसा अधिनियम, 1996

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(B) में प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है ।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान दिया गया है, जिसमें किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिये प्रावधान किये गये हैं।

- भारतीय संविधान के 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में त्रिस्तरीय पंचायत के गठन एवं ग्रामसभा की स्थापना एवं शक्तियाँ प्रावधानित हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसके तहत पंचायतों को आर्थिक विकास एवं समाजिक न्याय के लिये 29 विषय सौंपे गये हैं।

अतः पेसा अधिनियम 1996 में केवल गौण वनोपज का स्वामित्व प्रदान किये जाने तथा पेसा नियम 2022 की धारा 25 में अनुसूचित वनक्षेत्रों में केवल स्वीकृत Micro Plan के माध्यम से गौण वनोपज का संवहनीय एवं परंपरागत प्रबंधन हेतु विशेष रूप से तैदूपत्ता संग्रहण कर क्षेत्र में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से संबंधित ग्राम सभा को अधिकार दिये गये हैं। उक्त कार्य ग्राम सभा के क्षेत्र में केवल कार्य आयोजना के अनुरूप ही कराये जा सकेंगे, जिसने गौण वनोपज का प्रबंधन मध्यप्रदेश वनोपज (जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005 को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। पेसा अधिनियम/नियम में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, जो कार्य आयोजना के क्रियान्वयन, रोपण कार्यक्रम, मृदा जल संरक्षण कार्य, अनुमोदित कार्य आयोजना के अन्तर्गत कटाई को प्रतिबंधित करना, बिरलन कार्य तथा आरक्षित वन एवं संरक्षित वनभूमि पर वन विभाग द्वारा किये जाने वाले किसी भी कार्य के लिये ग्राम सभा की सहमति अथवा परामर्श अनिवार्य करता हो या उक्त कार्यों को करने हेतु रोकता हो। ग्राम सभा के द्वारा वनों का प्रबंधन कार्य पेसा अधिनियम/नियम में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। मध्यप्रदेश सतत विकास की दिशा में कार्यशील है।

अतः पेसा अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक वानिकी के कार्य, ग्राम की चरनोई भूमि का प्रबंधन और जलाउ लकड़ी के वृक्षारोपण जैसे कार्य केवल ग्राम सभा की भूमि पर ही किया जाना प्रावधानित है, न कि वन विभाग द्वारा प्रबंधित आरक्षित/संरक्षित वनों की भूमि पर।

### सामुदायिक वन संसाधन (CFRR)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम, 2006 का उद्देश्य (Preamble) (FRA, 2006, Long Title)

*“An Act to recognize and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded; to provide for a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land.”*

अर्थात् यह अधिनियम वन में परंपरागत रूप से निवासरत अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के, जो पीढ़ियों से वहाँ निवास करते आए किंतु जिनके अधिकार अभिलेखित नहीं हो सके, वन अधिकारों को मान्यता एवं निहित करने तथा उनके अभिलेखीकरण की प्रक्रिया एवं अपेक्षित साक्ष्य निर्धारित करने हेतु है—

अर्थात् मान्यता प्रमाणाधारित (evidence based) है, स्वतः-सिद्ध नहीं।

प्रस्तावना-वाक्य 1 (Whereas Clause I) (FRA, 2006, Preamble)

*“WHEREAS the recognized rights of the forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers include the responsibilities and authority for sustainable use, conservation of biodiversity and maintenance of ecological balance and thereby strengthening the conservation regime of the forests while ensuring livelihood and food security of the forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers;”*

अर्थात् वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के मान्यता-प्राप्त अधिकार तथा दायित्व दोनों साथ लाते हैं — सतत उपयोग, जैव विविधता संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने का दायित्व एवं प्राधिकार, जिससे वनों की संरक्षण व्यवस्था सुदृढ़ होती है।

**प्रस्तावना-वाक्य 2 (Whereas Clause II) (FRA, 2006, Preamble)**

*“AND WHEREAS the forest rights on ancestral lands and their habitat were not adequately recognized in the consolidation of State forests during the colonial period as well as in independent India resulting in historical injustice to the forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who are integral to the very survival and sustainability of the forest ecosystem;”*

अर्थात् औपनिवेशिक काल एवं स्वतंत्र भारत में राज्य वनों के सुदृढीकरण (consolidation) के दौरान पैतृक भूमि व आवास पर वन अधिकारों को पर्याप्त मान्यता न मिलने से वन-निवासी समुदायों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ — यही अधिनियम के निर्माण का मूल औचित्य है।

**प्रस्तावना-वाक्य 3 (Whereas Clause III) (FRA, 2006, Preamble)**

*“AND WHEREAS it has become necessary to address the long standing insecurity of tenurial and access rights of forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers including those who were forced to relocate their dwelling due to State development interventions.”*

अर्थात् वन-निवासी समुदायों के कार्यकालिक (tenurial) एवं पहुँच अधिकारों की दीर्घकालिक असुरक्षा दूर करना अधिनियम का उद्देश्य है—यह उद्देशिका आगे के सभी उपबंधों (धारा 2, 3, 5 आदि) की व्याख्या का संदर्भ-बिंदु है।

### **सामुदायिक वन संसाधन (CFRR) की परिभाषा-**

**अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**

**धारा-2(क) (FRA, 2006, Section 2(a))**

*“Community forest resource means customary common forest land within the traditional or customary boundaries of the village or seasonal use of landscape in the case of pastoral communities, including reserved forests, protected forests and protected areas such as Sanctuaries and National Parks to which the community had traditional access.”*

अर्थात् सीएफआर वह वन भूमि है, जो ग्राम की परंपरागत/रूढ़िगत सीमाओं के भीतर स्थित हो और जिस तक समुदाय की परंपरागत पहुँच रही हो—आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हैं, बशर्ते परंपरागत पहुँच सिद्ध हो। आरक्षित वन भूमियों पर राज्य शासन द्वारा सूखी गिरी पड़ी लकड़ी को निस्तार के लिये समय-समय पर अनुमति दी गई है। इसका आशय यह है कि अनुमति परम्परागत अधिकार नहीं है।

**धारा 3(1)(झ) (FRA, 2006, Section 3(1)(i))**

*“Right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable use.”*

यह अधिकार केवल तभी वर्तित होता है जब समुदाय ने संबंधित वन संसाधन का "परम्परागत रूप से संरक्षण एवं संवर्धन" किया हो—यह एक तथ्यात्मक शर्त (condition precedent) है, स्वतः-अनुमानित अधिकार नहीं। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (1959 MPLRC) की धारा 1 (2) में भी स्पष्ट निहित है कि भू-राजस्व संहिता के कोई भी प्रावधान संरक्षित वन पर या आरक्षित वन पर लागू नहीं होते।

**धारा 5(क)-(घ) (FRA, 2006, Section 5(a)-(d))**

*"The holders of any forest right... shall—(a) protect the wild life, forest and biodiversity; (b) ensure that adjoining catchments area, water sources and other ecological sensitive areas are adequately protected; (c) ensure that the habitat... is preserved from any form of destructive practices; (d) ensure that the decisions taken in the Gram Sabha to regulate access... are complied with."*

धारा 5 दायित्व के रूप में उन्हीं कर्तव्यों को दोहराती है, जो धारा 3(1)(झ) के अधिकार से जुड़े हैं—संरक्षण एवं प्रबंधन।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वनमण्डल स्तर पर पहल की जाकर ऐसी सभी ग्रामसभाओं जिनके द्वारा परम्परागत रूप से समुदायिक वन संसाधनों को सतत उपयोग हेतु सुरक्षा एवं संरक्षण किया जा रहा है, के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) के दावा आवेदन दिनांक 15.08.2026 की बैठक में प्राप्त किये जायें, ताकि शासन की मंशा अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (के अन्तर्गत CFRR) का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन किया जा सके।

(मनोज कुमार अग्रवाल)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(कार्य-आयोजना एवं वन भू-अभिलेख)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र./वन भू-अभि./ वनग्राम/ 1010-2

भोपाल दिनांक 06/08/2026

प्रतिलिपि,

1. निज सहायक, सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(कार्य-आयोजना एवं वन भू-अभिलेख)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



Ranjana Chopra  
Secretary  
Government of India  
Ministry of Tribal Affairs

Tanmay Kumar  
Secretary  
Government of India  
Ministry of Environment, Forest and  
Climate Change

D.O. No. 4-4/2020-FP (E-139662)

July 27, 2026

Dear Chief Secretary,

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, under the provisions of Section 3(1)(i) and Section 5, recognises the role of Gram Sabhas in the protection, conservation, and sustainable management of Community Forest Resources (CFRs), **which communities have traditionally protected and conserved for sustainable use.**

2. In this regard, the Ministry of Tribal Affairs has issued detailed guidelines for the conservation, management and sustainable use of Community Forest Resources (CFR) vide letter No. 23011/09/2016- FRA dated 12.09.2023. For the purpose of facilitating coordination, capacity building, and timely operationalisation of Community Forest Resource Management Plans (CFRMPs), the Gram Sabha may forward the CFRMPs to the District Level CFR Monitoring Committees.

3. Further, the Community Forest Resource Management Plans (CFRMPs) need to be prepared and implemented in harmony with the approved Working Plans/Management Plans and the **District Level CFR Monitoring Committee can facilitate such institutional convergence with necessary coordination with the Forest Department** so as to synergise conservation objectives, avoid duplication of efforts, and promote sustainable forest management through participatory approaches.

4. Further, as per the provisions of the National Working plan Code, 2023, the nature and extent of individual forest rights recognised under FRA; the nature and extent/quantum of forest resources on which forest rights and community forest resource rights have been recognised; and the management practices prevalent are to be indicated in the working plan. As per FRA Rule 4 (1) (e) Gram Sabha shall constitute Committees for protection of wildlife, forest and biodiversity, from amongst its member, in order to carry out the provision of Section 5 of the Act. Further, under Rule 4 (1) (f), the committee constituted shall prepare a conservation and management plan for CFR in order to sustainably and equitably manage such CFR

for benefit of forest dwelling ST and OTFD and integrate such conservation and management plan with micro plans or working plans or management plans of the forest department with such modifications in the CFRMPs, as may be considered necessary by the Committee. In cases, Community Forest Resource rights Under Section 3(1) (i) have been recognised but a CFR Management Plan has not yet been prepared, and where the revised Working Plan is under preparation by the Forest Department, the management practices to be incorporated in the Working Plan shall be documented in consultation with the Gram Sabha, and the relevant Gram Sabha resolution may be recorded as part of the consultation process.

5. The District Level CFR Monitoring Committee constituted as per MoTA guidelines dated 12.09.2023 para 8.1 (ii) will facilitate integration of CFRMP approved by Gram Sabha with the Working Plan/Management Plans of the Forest Department including any time during revision of Working plan.

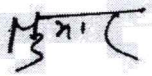
6. In order to guide and review the process, the State Level Monitoring Committee constituted under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007, under the chairperson of the Chief Secretary may undertake the following:

- a. Prepare a State-level Action Plan, with defined timelines, to oversee the preparation of CFRMPs in consonance with the approved Working Plans and their integration with the Working Plans.
- b. Support implementation of Community Forest Resource Management Plans (CFRMPs) through effective convergence of resources available under various Central and State schemes including Forestry Funds as CFRR areas are often located within/encompassing a larger forest landscape; therefore, interventions supported through forestry funds at the landscape level can effectively complement and strengthen CFRR management.

The cooperation of the State Governments and Union Territory Administrations is solicited to strengthen the role of community in forest governance.

Yours sincerely,

  
(Ranjana Chopra)

  
(Tanmay Kumar)

Chief Secretaries of all FRA implementing States/UTs

Copy to:

Principal Secretaries/Secretaries, Forest Department & Principal Secretaries/Secretaries, Tribal Welfare Department (All FRA implementing States/UTs)